है। अब जब आप यह कहते हैं कि छोटा किसान और बड़ा किसान तो मैं समझता हूं कि किसान किसान में आप फर्क करते हैं और उनमें आपस मे फर्क पैदा करने की कोशिश की जाये तो वह अच्छी बात नहीं है। अगर किसान किसान में, मजदूर मजदूर में फर्क करने की कोशिश की जाय तो जो मतलब है वह हल नही होगा इस तरह की गैर जिम्मेदारी की बात नही होनी चाहिये। देश में जरूरत इस बात की है कि अग्रिकल्चर की प्रोडक्शन खास तौर से बढ़े और जब तक ऐसा नही होगा हमारे देश की इकोनोमी ठीक नही हो सकेगी, उसके ऊपर हम कंट्रोल नही कर पाएंगे।

17.49 hrs.

WELCOME TO EGYPTIAN PARLIAMENTARY DELEGATION

MR. SPEAKER: Mr. Singh, I am sorry to interrupt you. I just wanted to avail of this opportunity to welcome in this House the presence of the Egyptian Parliamentary Delegation led by the distinguished Deputy Speaker, H. E. Dr. Gamel Oteify who is so well known to us all. I assure them that we two nations and we two people have great pride in our friendship with each other.

They are very very welcome here. Our only regret is that they are only staying here for one night. They are on their way to Bangladesh. I very much wish on behalf of Parliament that they could have stayed longer. If they cannot stay now, they can on their way back stay here for some time and see more of the country, more of Delhi and more of the people. Hon. Members, on your behalf, I welcome them all most heartily.

I must apologise that because this is the fag-end of the week and the fag-end of the sitting only a few minutes more are left many members have left now. But we are very happy that a few of us are present here to welcome them.

RESOLUTION *RE* POLICY IN RESPECT OF PRICES AND AGRICULTURAL PRODUCTION—*Contd.*

श्री शिवनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि प्राइसिज को कंट्रोल करना हमारा उद्देश्य होना चाहिए—और वह हमारा उद्देश्य है भी, और हम उसके लिए प्रयत्न भी करते हैं। लेकिन आज हमारे देश मे एक बड़ी एनामेली यह है कि जहां इण्डस्ट्री की प्राडक्ट्स की प्राइसिज को तय करने का अधिकार इण्डस्ट्रियलिस्ट्स को है, वहा एग्रीकल्चर की प्रोड्यूस की प्राइसिज को तय करने का अधिकार एग्रीकल्चरिस्ट्स को नही है, बल्कि उनको कोई दूसरा ही तय करता है। हमें अपने देश मे ऐसी परिस्थिति पैदा करनी पड़ेगी, जिसमे किसान अपनी पैदावार की कीमत खुद तय करने की स्थिति मे हो जाये। ऐसा करने पर ही हम वास्तविक अर्थों मे प्रोग्रेस कर सकते हैं।

आज किसान बडी मेहनत करके, और फर्टलाइजर आदि बहुत कीमती साधनो का उपयोग करके, पैदा करना है, लेकिन जब उसकी प्रोड्यूस माकट मे आती है, तो मार्किट डाउन चली जाती है, और किसान की अपनी मेहनत का फल नही मिल पाता है। लेकिन जब किसान की पैदावार व्यापारी के पास पहुच जाती है, तो दो महीने के बाद उसकी प्राइस ऊची हो जाती है। आवश्यकता इस बात की है कि प्रोइसिज मे यह जो फ्लक्चुएशन होता है, उस की कंट्रोल किया जाये। इस का सीधा उपाय यह है कि हम किसान को उस की प्रोड्यूस की रीम्युनरेटिव प्राइस एफोर्ड कर दें : किसान जो कुछ पैदा करे, हम उसकी रीम्युनरेटिव प्राइस फिक्स कर दें और सरकार उसी प्राइस पर उस को खरीदे। इसके साथ ही मिडिलमैन को हटा दिया जाय। इससे एक तो कनज्यूमर को अधिक प्राइस नहीं देनी पड़ेगी, और दूसरे, किसान को भी

(श्री शिवनाथ सिंह)

अपनी चीज की रीजनेबल प्राइस मिल जायेगी ।

मैं समझता हूं कि ऐसा करना आसान नहीं है । पीछे सरकार ने व्हीट का टेक-ओवर करके इस दिशा में प्रयत्न किया था । मैं यह तो नहीं कहता कि हमारा वह एक्सपेरिमेंट फेल हुआ है, लेकिन यह कहा जा सकता है कि वह पूरी तरह सफल नही हो सका है । लेकिन फिर भी सरकार को इस दिशा में लगातार प्रयत्न करना चाहिए कि किसान को अपनी प्रोड्यूस की रीजनेबल प्राइस मार्केट में एफोर्ड हो जाये ।

जो नई खाद्य नीति पेश की गई है, उस में भी कई प्रकार की दिक्कतें पैदा होने की सम्भावना है । यह कहा गया है कि गवर्नमेंट हो या होलसेलर हो, प्रोड्यूसर से मार्केट में 105 रुपये क्विंटल के हिसाब से गेहूं खरीदा जायेगा, और सरकारी मशीनरी के द्वारा या फ्री मार्केट मे 150 रुपये क्विंटल की मैक्सिमम प्राइस पर बेचा जा सकेगा । मेरी समझ मे नही आता है कि इससे प्राइस का कंट्रोल या फिक्सेशन कैसे हो सकेगा । जब हम सरकारी दुकानों की मार्फ़त 132 रुपये क्विंटल पर बेचने की सोचते हैं, तो फिर हम यह नहीं कह सकते कि व्यापारी किसान से 105 रुपये क्विंटल में खरीद पायेगा । जब व्यापारी 135, 140 या 150 रुपये क्विंटल के हिसाब से खरीदेगा, तो यह सम्भव नही हो सकता है कि वह ईमानदारी से 105 रुपये क्विंटल के हिसाब से गेहूं को सरकारी गोदाम में जमा करायेगा । थ्योरी में यह सम्भव हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिस में वह सम्भव प्रतीत नहीं होता है । जिस तरह भी हो सके, मिडिलमैन को एवायड करना चाहिए, वर्ना प्राइसिज को कंट्रोल नहीं किया जा सकेगा ।

इस रेजोल्यूशन में कहा गया है कि दस एकड़ से नीचे वाले किसान को अमुक अमुक सहूलियतें दी जायें, जैसे उसके लिए इलैक्ट्रिसिटी का रेट दस पैसे से अधिक न हो । यह भी कहा गया है कि फूडग्रेन्ज की प्राइसिज में 15 परसेंट से ज्यादा फलक्चूएशन न हो । मैं समझता हूं कि आज यह प्रैक्टिकल नहीं है । किसान को बिजली के लिए दस पैसे के बजाये बीस पैसे भी देना पड़े, लेकिन अगर वह कास्ट आफ़ प्राडक्शन में शामिल हो जाता है, तभी हम कह सकते हैं कि किसान को कोई फ़ायदा हुआ है ।

मैं प्रस्ताव की भावना का समर्थन करता हूं, लेकिन इसमें कई इमप्रैक्टिकेबल बातें हैं, जिनको कार्यान्वित करना सम्भव नहीं है । लेकिन फिर भी सरकार को इस तरफ़ ध्यान देना चाहिए । हमारा सिद्धान्त यह होना चाहिए कि हम ऐसी स्थिति पैदा करें, जिसमें किसान अपनी पैदावार का भाव खुद तय कर सके, ताकि कनज्यूमर को भी वह ठीक दाम पर मिले ।

17.55 hrs.

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

FORTY-SECOND REPORT

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI K. RAGHU RAMAIAH): Sir, I beg to present the Forty-second Report of the Business Advisory Committee.

RESOLUTION RE. POLICY IN RESPECT OF PRICES AND AGRICULTURAL PRODUCTION—*Contd.*

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI K. RAGHU RAMAIAH): Since Shri C. K. Chandrappan is not here, to raise the half-an-hour discussion, you may call some more Members to speak on Shri Limaye's resolution.

SHRI B. V. NAIK: On the very face of it, this resolution appears to be a well-meaning one, but as has been stated elsewhere, the road to